

07-10-25 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वकिले गाम रणचीरगढ़ की आशजीयाह में प्रार्थी का नाम हरपाल के स्थान पर हरपाल राजस्व कर्मचारियों की सहवर्ग गलती से दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास-बुक, प्रमाण पत्र प्रशासक गाम पंचायत रणचीरगढ़ के अनुसार सही नाम हरपाल है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।

हमने वकिले प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड को मली भौति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम नाम किया जाना उचित जाते हैं।

अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, मुसावर को अधिष्टित किया जाता है कि आ.ख.नं. 197 रकबा 0.99 हैक्टे. वकिले गाम रणचीरगढ़ तह. मुसावर में प्रार्थी के गलत नाम हरपाल के स्थान पर हरपाल दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली केवल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकनीक जाया दखिल दफ्तर हो।

He
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राज०